

प्रेषक,

मुमताज अली,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)  
जनपद शामली स्थित कैराना।

सेवा में,

मौहम्मद अरशद  
असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एडमिन ए-4)  
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,  
शामली स्थित कैराना।

**विषय- पत्रांक सं0 674,675/IV- 3045/ एडमिन (ए-4) दिनांकित 19.01.2022 विषयक।**

आदरणीय महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि मेरे द्वारा आदरणीय महोदय के पत्रांक सं0 674/675/IV-3045/एडमिन (ए-4) दिनांकित 19.01.2022 का संदर्भ ग्रहण किया गया,

आदरणीय महोदय के उपरोक्त पत्र दिनांकित के संबन्ध में सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 10.12.2021 को जो सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया गया है ई-पोर्टल पर केवल 2019-2021 तक का ही दर्शित किया जा रहा था, इस कारण वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 का ई-पोर्टल के माध्यम से भेजा गया था, 2018-2019 एवं 2019-2020 को पृथक-पृथक पुनः भेज रहा हूँ। वर्ष 2018 एवं 2019 का विवरण जान बुझकर नहीं रोका गया है।

आदरणीय महोदय माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांकित 18.11.2019 के सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 08.04.2019 को जनपद न्यायालय बिजनौर से वर्ष 2015-2016, 2016-2017 2017-2018 का चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया था, इसी दौरान मेरा स्थानांतरण जनपद न्यायालय बिजनौर से जनपद न्यायालय गोरखपुर हो गया था।

जनपद न्यायालय गोरखपुर में मुझे माननीय उच्च न्यायालय का पत्र सं0 7936 दिनांकित 14.06.2019 प्राप्त हुआ, जिसमें मुझसे अचल सम्पत्ति का विवरण न होने एवं कालम सं0 4 खाली छोड़ देने के आधार पर पुनः रिवाइज सम्पत्ति का विवरण प्रेषित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए। मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांकित 14.06.2019 के अनुपालन में वर्ष 2015-2016, 2016-2017 ,

hr

2017-2018 के सम्बन्ध में चल एवं अचल सम्पत्ति का रिवाइज विवरण उचित प्रारूप पर भरकर दिनांक 27.06.2019 को द्वारा जनपद न्यायाधीश गोरखपुर प्रेषित किया गया।


आदरणीय महोदय कुछ समय बाद मेरा स्थानान्तरण परिवार न्यायालय गोरखपुर में हो गया था तथा घर पर मेरी वृद्ध माता व पिता बीमार चल रहे थे। अन्ततोगत्वा माह सितम्बर 2019 में ही मेरी वालिदा का इन्तकाल हो गया था। घर से अत्यधिक दूरी होने के कारण वहाँ से चलकर मैं अपनी माता का चेहरा भी नहीं देख पाया था और उनके दफिने में भी शामिल नहीं हो सका था। इस कारण मानसिक रूप से परेशान था और माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांकित 18.11.2019 के सम्बन्ध में उत्तर प्रेषित नहीं किया जा सका था। आदरणीय महोदय प्रार्थी के पिता एक साधारण किसान थे। पत्र दिनांकित 18.11.2019 के अनुसार कॉलम संख्या 04 को प्रार्थी के पिता के मौखिक बताये अनुसार ही लगभग 2.5 लाख रुपये की आय का विवरण कॉलम संख्या 04 में अंकित कर प्रेषित किया जा रहा है।

अन्ततोगत्वा मेरे वालिद साहब भी माह अगस्त 2020 में इन्तकाल फरमा गये। उनके जीवन काल में मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं थी। उनके इन्तकाल के उपरान्त ही अचल सम्पत्ति कृषि भूमि मेरे नाम विरासत के रूप में आयी है। जिसका विवरण मेरे द्वारा दिनांक 10.12.2021 को प्रेषित किया जा चुका है।


आदरणीय महोदय मेरे द्वारा जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की गयी है। जो भी त्रुटि हुई है वह केवल परिस्थितिवश हुई है, माफ किये जाने की प्रार्थना के साथ पत्र 2018-19, 2019-20 के चल व अचल सम्पत्ति के विवरण सहित प्रेषित है।

सादर।

भवदीय

  
(मुमताज अली)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)  
जनपद शामली स्थित कैराना।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश शामली  
संख्या... 52 ... दिनांक... 04/02/2022  
अग्रसारित  
  
04/02/2022  
जनपद न्यायाधीश  
शामली